(2)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2462 /PF/UK/ROAD/8936/2014 :देहरादून:दिनांक: 23 फरवरी, 2016.

डायरी नं० 1009
फाईल नं० 36 सी०
दिनांक 04/03/2016

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत गगास–ऊड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13.842 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/83/2014/एफ.सी./2436 दिनांक 15–02–2016 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि के विसंगतियों के सम्बन्ध में लिखा गया है। प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार रू0 41,64,243.11 की धनराशि जमा की जानी अपेक्षित थी, जिसके विरूद्ध रू0 39,58,812.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेष धनराशि (जमा की जाने वाली धनराशि रू0 41,64,243.11–जमा की गई धनराशि रू0 39,58,812.00 = रू0 2,05,431.11) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **FC amendment Rules 2014** के बिन्दु–8, उपबिन्दु–क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास/मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा **forestsclearance.nic.in** में अपना **User Id** और **Password** डाला जायेगा। तत्पश्चात् **login** करने के बाद **"My Proposal"** में **"upload demand note"** क्लिक कर प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये **demand note** को अपलोड करेंगे तथा देयताओं का विवरण भरेंगे। जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा, जिसके पश्चात् यह **Proposal "Generate Challan"Menu** में दिखाई देगा, तदोपरान्त चालान ऑन लाईन **Generate** करें। चालान में उल्लिखित बैंक में ही चालान **Generate** की धनराशि जमा की जानी आवश्यक है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /PF/UK/ROAD/ 8936/2015 दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

प्राप्त 18-2-2016

भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाश: 0135–2750809,
ईमेल / Email moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE, Pearson Road,
FRI Campus, P.O. New Forest,
Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

दिनांक 19/2/16 — 5128

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 83 / 2014 / एफ.सी. / 2436

दिनांक 15 02.2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद– अल्मोड़ा के अन्तर्गत गगास–ऊड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 13.842 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक–**2098 / FP/UK/ROAD/8936/2014** दिनॉक **21.01.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.04.2015 द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा offline तो प्रेषित किया गया है, परन्तु Online अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है, जिस कारण प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव के पृष्ट संख्या 40–42 पर रू0 41,64,243.11 / – की धनराशि निर्धारित की गयी थी, जबकि मात्र रू0 39,58,812 / – ही कैम्पा कोष में CA के सापेक्ष जमा किये गये है। अतः राज्य सरकार इस विसंगति पर भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. आदेश पत्रावली।

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक